## **ALPS INDUSTRIES LIMITED**

Regd. & Corporate Office & Share Deptt:: 57/2, Site IV, Industrial Area, Sahi Ghaziabad-201010 CIN: L51109UP1972PLC003544 Website: www.alpsindustries.com

**E Mail ID: ajaygupta@alpsindustries.com** Phone: 0120-4161700, 4161716, Fax: 0120-2896041

NOTICE

Notice is hereby given that the Forty Sixth Annual General Meeting (AGM) of the Members of Alps Industries Limited (CIN NO. L51109UP1972PLC003544) will be held on Friday, 31st August, 2018 at 10:00 A.M. at the Registered & Corporate Office of the company situated at 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Ghaziabad-201010 (U.P.) to transact the Ordinary and Special Business, as set out in the Notice of the said meeting.

The Notice together with Abridged Annual Report for the FY 2017-18 has been sent in electronic mode to Members whose e-mail IDs are registered with the company or the Depository Participant(s). Physical copy of the Notice together with the Abridged Annual Report for FY 2017-18 has been sent to all other Members at their registered address through the permitted mode. The electronic transmission/physical dispatches of Notice together with the Abridged Annual Report have been completed on Friday 03.08.2018. The Notice of the AGM together with the Abridged Annual Report is also available on the Company's website. Members, who have not received the Notice and the Abridged Annual Report, may download the same from the website or may request for a copy of the same by writing to the Company Secretary/Compliance officer, Alps Industries Limited, 57/2, Site-IV, Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad-201010, or e-mail at ajaygupta@alpsindustries.com. Any member interested in obtaining a copy of the full Annual Report, may write to the Company or the Registrar and Transfer Agent of the Company.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Notice is also hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the company will remain closed from Wednesday the 8th August 2018 to Thursday the 9th August

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has to provide e-voting facility to members to cast their votes on the resolutions set in the Notice of convening 46th AGM. The Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Ltd. to facilitate the Members to exercise their right to vote at the AGM by electronic means. The detailed process for participating in the e-voting is available in the Notice of the meeting. Members of the Company holding shares in either physical or dematerialized form as on Saturday the August 25, 2018 being the cut –off date may cast their vote electronically. As required under clause 4 (v) Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the required information are as under:

Comments

S. No. Particulars

5. N	io. Particulars	Comments	
1.	Statement that the business may be transacted through voting by electronic means.	The Ordinary and Special business as stated in Notice of 46th AGM for Resolutions No. 1 to 5 may be transacted through voting by electronic means as per the instruction provided in the Notice.	
2.	The date and time of commencement of remote e-voting.	The remote e-voting shall commence on Tuesday, August 28, 2018 at 10:00 A.M.	
3.	The date and time of end of remote e-voting.	The remote e-voting shall end on Thursday, August 30, 2018 at 5:00 P.M.	
4.	Cut-off date.	The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or in person at the AGM is Saturday August 25, 2018.	
5.	The manner in which persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice may obtain the login ID and Password.	The persons who have acquired shares and become members of the company after the dispatch of notice and holding the shares as of the cut-off date i.e. August 25, 2018 may follow the instruction mentioned in the Notice available on the website, who are holding the PAN nos. and in other cases they may obtain the login Password by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or ajaygupta@alpsindustries.com or afankit@alankit.com . However, if a person already registered with CDSL for e-voting then existing User ID and password can be used for casting vote.	
6.	Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time;	The remote e-voting module shall be disabled by CSDL after the Thursday, August 30, 2018 at 5:00 P.M. and the remote e-voting shall not be allowed beyond the period.	
7.	The manner in which the company shall provide for voting by members present at the meeting.	The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM for the members who wish to cast their vote in person.	
8.	A member may participate in the general meeting even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again in the meeting.	The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but not entitled to cast their vote again.	
9.	A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting.	A member whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. August 25, 2018, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting	
10.	Website address of the company, if any, and of the agency where notice of the meeting is displayed	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com	
11.	Name, designation, address, email id and phone number of the person responsible to address the grievances connected with facility for voting by electronic means.	Mr. Ajay Gupta, Compliance Officer & Company Secretary Add: Regd. & Corp. Off 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad, U.P. – 201010 Email ID: ajaygupta@alpsindustries.com Ph: 0120-4161716	
A member entitled to attend the AGM and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead himself/herself, and such proxy need not be a member of the Company. The proxies, in order to be effective must be received by the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.			

and	Pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)2015 with stock exchanges, for the statements to be as under below:		
S. N	lo. Particulars	Comments	
1.	A statement to the effect that the business is to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means	The Resolution No. 5 under Special Business is to be transacted by postal ballot which includes voting by electronic means as per the instruction in the Notice.	
2.	The date of completion of dispatch of Notices	August 03, 2018.	
3.	The date of commencement of voting	The voting by postal ballot forms shall commence from August 03, 2018.	
4.	The date of end of voting	The voting by postal ballot forms shall end on the completion of dispatch of Notices latest by August 29, 2018	
5.	The statement that any postal ballot received from the member beyond the said date will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the said date	Any postal ballot received from the member beyond August 29, 2018, will not be valid and voting whether by post or by electronic means shall not be allowed beyond the aforesaid date.	
6.	A statement to the effect that members, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof	The members, who have not received postal ballot forms may apply to the company and obtain a duplicate thereof which is also available on the website of the Company.	
7.	Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means	Mr. Ajay Gupta, Compliance Officer & Company Secretary Add: Corp. Off 57/2, Site IV, Sahibabad Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad, U.P. – 201010 Email ID: ajaygupta@alpsindustries.com Ph: 0120-4161716 (D)	

The Board of Directors of the Company has appointed CS Rajiv Khosla, a Practicing Company Secretary (PCS No. 3927), as scrutinizer for conducting Physical and E-voting process in a fair and transparent

For any queries or issues regarding e-voting, please refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.co.in under help section or write an email to helpdesk. evoting@cdslindia.com. In case of difficulties Members may also contact the undersigned may also contact the undersigned or the Alankit Assignments Ltd. being the RTA situated at 1E/13, Alankit heights, Jhandewalan Ext. New Delhi - 110055 or at the email id jksingla@alankit.com by e-mail/post.

By order of the Board For Alps Industries Ltd.

Place: Ghaziabad Date: August 3, 2018

(Ajay Gupta) & General Manager- Legal

Eng: Size 39cm x 12 cm

## एल्पस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत एवं कारपोरेट आफिस एंड शेयर विभाग : 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 CIN NO. L51109UP1972PLC003544

वेबसाइटः www.alpsindustries.com ईमेल आईडीः ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120-4161700, 4161716, फैक्सः 0120-2896041

## सुचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि **एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटिड** (CIN NO. L51109UP1972PLC003544) के सदस्यों की 46वीं आम वार्षिक बैठक (एजीएम) शक्रवार, 31 अगस्त, 2018 प्रातः 10.00 बजे कम्पनी के पंजीकत एवं कार्पोरेट कार्यालय 57/2, साइट-IV, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 (यू.पी.) में होगी, जिसमें उक्त बैठक की सूचना में दिये गये साधारण एवं विशेष व्यापार सम्पादित किया जाएगा

वित्त वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक रिपोर्ट, सूचना के साथ इलैक्ट्रानिक मोड में सदस्यों को भेज दी गई है, जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी या डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के पास पंजीकृत हैं। वित्त वर्ष 2017-18 की एब्रिज्ड वार्षिक रिपोर्ट के साथ सूचना की फिजीकल प्रति सभी सदस्यों के उनके पंजीकृत पतों पर अनुमति मोड से भेज दी गई है एब्रिज्ड वार्षिक रिपोर्ट और सूचना का इलैक्ट्रानिक / फिजीकल डिस्पैच शुक्रवार 03.08.2018 तक पूरा कर लिया गया है। एजीएम की सचना, एब्रिज्ड वार्षिक रिपोर्ट के साथ कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सदस्य, जिन्हें सचन और एब्रिज्ड वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड कर लें या कम्पनी सचिव / अनुपालन अधिकारी, एल्प्स इंडस्ट्रीज लिमिटिड, 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 को लिखकर या ईमेल ajaygupta@alpsindustries.com पर उसकी एक कॉपी का निवेदन कर सकते हैं। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति प्राप्त करने में रुचि रखने वाला कोई भी सदस्य कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुपालन में कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित, एतद् द्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर स्थानांतरण बुक्स बुधवार 08 अगस्त 2018 से गुरुवार 09 अगस्त 2018 (दोनों दिन शामिल करके) बंद रहेंगी।

सेबी के विनियमन 44 (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के नियम 20 के साथ पढ़ा गया है, 47वीं एजीएम की सचना में दिये गये प्रस्तावों के सेट पर वोट डालने के लिये सदस्यों को ई-वोटिंग सुविधा कंपनी को उपलब्ध करानी है। सदस्यों को इलैक्ट्रानिक माध्यम से एजीएम में वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए कंपनी ने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. के साथ एक समझौता किया है। ई-वोटिंग में भाग लेने के लिये विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सचना में उपलब्ध है। कंपनी के सदस्य. जिनेक पास शनिवार 25 अगस्त 2018 कट-ऑफ तिथि एक फिजीकल या डिमैट रूप में शेयर धारक हैं, तो वे इलैक्ट्रानिक वोट डाल सकते हैं। खंड 4 (V) क्लॉज कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 के तहत आवश्यक, जरूरी जानकारी निम्नानुसार है:

क्र.र	i. विवरण	टिप्पणियां
1.	से सम्पादित किया जा सकता है।	46वीं एजीएम की सूचना में उदृत आम तथा विशेष व्यापार के लिये प्रस्ताव सं.1 से 5 पर ट्रांजेक्शन इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से सूचना में दिये गये निर्देशों से सम्पादित किया जा सकता है।
2.	दूर-दराज के ई-वोटिंग के प्रारंभ की तिथि एवं समय	दूर-दराज की ई-वोटिंग मंगलवार, 28 अगस्त 2018 को प्रातः 10.00 बजे शुरू होगी।
3.	दूर-दराज की ई-वोटिंग समाप्त होने की तिथि और समय	दूर-दराज ई-वोटिंग गुरुवार, 30 अगस्त, 2018 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी।
4.	कट-ऑफ तिथि	इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की पात्रता का निर्धारण करने के लिये या एजीएम में व्यक्तिगत के लिये कट-ऑफ तिथि शनिवार 25 अगस्त 2018 है।
5.	सूचना के प्रेषण के बाद जिस तरीके से व्यक्तियों ने शेयरों का अधिग्रहण किया है और कंपनी के सदस्य बने हैं, वे लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें।	सूचना के प्रेषण के बाद जिन व्यक्तियों ने शेयर अधिग्रहण किये हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं और 25 अगस्त 2018 कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना में उल्लेखित निर्देशों का अनुसरण करें, जो पेन नं. धारक हैं तथा अन्य मामलों में वे helpdesk.evoting@cdslindia.com या ajaygupta@alpsindustries.com या alankit@alankit.com पर निवेदन कर लॉग इन पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, अगर कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल से पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड वोट डालने के लिये इस्तेमाल कर सकते हैं।
6.	दूर-दराज से ई-वोटिंग कथित दिन और समय के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी।	दूर-दराज का ई-वोटिंग मोड्यूल सीएसडीएल द्वारा गुरुवार 30 अगस्त 2018, सायं 5.00 बजे के पश्चात् निष्क्रिय कर दिया जाएगा और दूर-दराज से वोटिंग अविध के बाद करने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
7.	बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा वोटिंग उपलब्ध कराने के लिये कंपनी द्वारा उपलब्ध तरीका।	जो सदस्य अपना वोट व्यक्तिगत रूप से डालना चाहते हैं, उन्हें एडीएम में पोस्टल बैलेट से वोट डालने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
8.	सदस्य दूर-दराज ईवोटिंग से वोट डालने के अधिकार का प्रयोग करके भी साधारण सभा में भाग ले सकता है लेकिन बैठक में उसे दोबारा वोट नहीं डालने दिया जाएगा।	एजीएम से पूर्व जिन सदस्यों ने अपने वोट दूर-दराज ई-वोटिंग से डाल दिये हैं, एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट देने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
9.	पर सदस्यों के रिजस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रिजस्टर में रिकॉर्ड होगा, वह ही केवल दूर-दराज ईवोटिंग सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और साधारण बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होगा।	जिस सदस्य का नाम कट-ऑफ तिथि जो 25 अगस्त 2018 है, पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गये लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही केवल दूर-दराज ई- वोटिंग, सुविधा को इस्तेमाल करने के लिये और आम वार्षिक बैठक में वोट डालने के लिये अधिकृत होंगे।
	कम्पनी का वेबसाइट पता, अगर कोई है, और उस एजेंसी का जहां बैठक की सूचना डिस्पले की गई है।	www.alpsindustries.com, www.cdslindia.com
11	नाम, पद, पता, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर उस व्यक्ति का जो इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की सुविधा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिये जिम्मेदार होगा।	श्री अजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव पता : पंजीकृत एवं कारपोटरेट आफिसः 57/2, साइट-IV इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी201010 ईमेल- ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120-4161716

जो सदस्य एजीएम में भाग लेने और मतदान में भाग लेने करने के हकदार हैं और खुद/ खुद के बजाय वोट करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के भी हकदार है, और इस तरह के प्रॉक्सी कॅपनी के सदस्य होने की भी जरूरत नहीं। ऐसी प्रॉक्सियाँ प्रभावी होने के लिए बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले, कंपनी

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 और सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) 2015 के विनियमन 44 के साथ स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पठित, बयान के लिए नीचे दिया गया है:

क्र.सं	. विवरण	टिप्पणियां
1.	इस प्रभाव के लिए एक बयान कि डाक डाक मतपत्र द्वारा कारोबार किया जाना है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान शामिल है	विशेष व्यवसाय के तहत प्रस्ताव सं. 5 डाक मतपत्र द्वारा पारि किया जाना है जिसमें नोटिस में निर्देश के अनुसार इलेक्ट्रॉनि माध्यमों द्वारा मतदान शामिल है।
2.	नोटिस के प्रेषण की समाप्ति की तारीख	03 अगस्त 2018
3.	मतदान शुरू होने की तिथि	पोस्टल बैलेट फार्म से मतदान 03 अगस्त 2018 को शुरू होग
4.	मतदान समाप्त होने की तिथि	डाक मतपत्रों द्वारा मतदान नोटिस के प्रेषण के पूरा होने पर समा होगा अर्थात अंतिम 29 अगस्त, 2018 तक।
5.	बयान में कहा गया है कि उस तारीख से परे सदस्य से प्राप्त कोई भी डाक मतपत्र वैध नहीं होगा और मतदान के बाद या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान तिथि से परे अनुमति नहीं दी जाएगी	29 अगस्त, 2018 के बाद सदस्य से प्राप्त कोई भी डाक मतप् वैध नहीं होगा और मतदान के बाद या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वा उपर्युक्त तिथि से परे अनुमति नहीं दी जाएगी।
6.	इस प्रभाव के लिए एक बयान कि सदस्यों, जिन्हें डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं, वे कंपनी को एप्लाइ कर सकते हैं और इसका एक डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं	जिन सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त नहीं हुए हैं वे कंपनी प आवेदन कर सकते हैं और एक डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं ज कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
7.	नाम, पद, पता, ई-मेल आईडी और फोन नम्बर उस व्यक्ति का जो इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से वोट डालने की सुविधा से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिये जिम्मेदार होगा।	श्री अजय गुप्ता, अनुपालन अधिकारी एवं कंपनी सचिव पता : पंजीकृत एवं कारपोटरेट आफिसः 57/2, साइट-I इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी201010 ईमेल- ajaygupta@alpsindustries.com फोनः 0120-4161716

कम्पनी के निदेशक मंडल ने सीएस राजीव खोसला एक अभ्यासी कंपनी सचिव (पीसीएस सं. 3927) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से फिजीकल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिये स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित मामलों और पूछताछ के लिये, कृपया www.evotingindia.co.in में उपलब्ध फ्रिक्यूंटली ऑस्क्ड क्योश्चंस (''एफएक्यो'') और ई-वोटिंग मैन्यूल को देखें या helpdesk.evoting@cdslindia. com को लिखें। कठिनाई होने के मामले में सदस्य अधोहस्ताक्षरी को संपर्क कर सकता है या अलंकित एसाइनमेंट्स लि. जो आरटीए हैं, पते 1ई/13, अलंकित हाइट्स, झंडेवालान एक्स., नई दिल्ली-110055 या ई-मेल आईडी jksingla@alankit.com पर ईमेल/पोस्ट द्वारा संपर्क कर सकता है।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते एल्प्स इंडस्ट्रीज लि. हस्ता./-स्थान : गाजियाबाद (अजय गुप्ता) दिनांक : 03 अगस्त 2018 कंपनी सैक्रटरी एवं जनरल मैनेजर (लीगल)

Hindi Size 49cm x 12 cms